

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र गंगासरा

प्राथीगण

बनाम

विप्राथीगण

1. बांकाराम पुत्र देदाराम 2. घमण्डाराम
पुत्र दुर्गाराम जातियान जाट
निवासीयान मूले का तला (सरली)
तहसील एवं जिला बाड़मेर

1. ईश्वरसिंह पुत्र मानसिंह 2. शेरसिंह
पुत्र मानसिंह 3. भीमसिंह पुत्र मानसिंह
4. रामसिंह गोदपुत्र सतीदानसिंह 5.
विजयसिंह पुत्र भैरसिंह 6. ओमसिंह पुत्र
भैरसिंह 7. गिरधरसिंह पुत्र भैरसिंह
जातियान-राजपूत निवासी-मूले का
तला तहसील व जिला बाड़मेर 8.
भोमाराम पुत्र प्रहलादराम जाति-जाट
निवासी-मूले का तला तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या-85/2018 दिनांक-01.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मूले का तला, पटवार हलका सरली तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 620/384 रकबा 21 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्राथीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 01/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6493-6496

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पाठनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरली को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी बांकाराम पुत्र देदाराम वगैरा जाति जाट निवासी-मूले का तला, सरली तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्राथी ईश्वरसिंह पुत्र मानसिंह, वगैरा जाति राजपूत/जाट निवासी मूले का तला तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर